मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण की बोर्ड बैठक दिनांक 22.7.03 में उपस्थित सदस्यों एवं अधिकारियों की उपस्थितिः–

1.आयुक्त / अध्यक्ष,
2.सचिव आवास,उत्तरांचल शासन
3.उपाध्यक्ष, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,देहरादून
4.जिलाधिकारी,देहरादून –
5. प्रभारी नगर एवं ग्राम्य नियोजन विभाग,उत्तरांचल
6. डे. सी. मिश्र अपर सचिव, वित्त
7. म. ज्ञान सिंह अधीक्षण अभियन्ता उत्तरांचल पेयजल निगम देहरादून 22/7

अन्य उपस्थितिः–

1. अरविन्द सिंह ह्यांकी, अपर मुख्य नगर अधिकारी, नगर निगम देहरादून
2. एस० जी० कोठियाल, मु० न० नि०, एम०डी०डी०ए०
3. रवीन्द्र गोडबोले सचिव ए.म.डी.डी.ए.
4. सीमा सिंह उपसचिव, एम.डी.डी.ए.
5. अनुजा सिंह अनुसचिव. M.D.D.A. 22.7.03. 22/07
6. एस० एस० रावत अधि० अभि० MDDA.
7. बी० एम० उनियाल स० नगर नियोजक अधिकारी MDDA
~~8. एम. एस. ए~~

59 वी बोर्ड बैठक दिनांक 22.7.03

आज दिनांक 22.7.2003 को मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण की 59 वी बोर्ड बैठक मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री सुभाष कुमार की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई जिसमें सदस्यो एवं अधिकारियों की उपस्थिति निम्नानुसार रही:—

1	श्री सुभाष कुमार, आयुक्त, गढ़वाल मण्डल	अध्यक्ष
2	श्री पी0के0मोहन्ति, सचिव आवास, उत्तरांचल शासन	पदेन सदस्य
3	डा0एस0एस0संधू,उपाध्यक्ष,मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण	उपाध्यक्ष
4	श्रीमती राधा रतूड़ी, जिलाधिकारी, देहरादून	पदेन सदस्य
5	श्री के0सी0मिश्रा,अपर सचिव वित्त, उत्तरांचल शासन	प्रतिनिधि सदस्य
6	श्री बृज बी0रतन, प्रभारी अधिकारी नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तरांचल	पदेन सदस्य
7	अधीक्षण अभियंता, उत्तरांचल पेयजल निगम देहरादून	प्रतिनिधि सदस्य
8	अपर मुख्य नगर अधिकारी, नगर निगम देहरादून	प्रतिनिधि सदस्य

अन्य उपस्थिति:—

1. सचिव, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,देहरादून।
2. मुख्य नगर नियोजक, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,देहरादून।
3. उपसचिव, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,देहरादून।
4. अनुसचिव, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,देहरादून।
5. अधिशासी अभियंता, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,देहरादून।
6. सहायक लेखाधिकारी, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,देहरादून।

(१९२)

बैठक की कार्यवाही अध्यक्ष महोदय की अनुमति से प्रारम्भ की गयी तथा उपाध्यक्ष, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा बैठक में उपस्थित सभी सदस्यो का स्वागत किया गया।

गत बोर्ड बैठक दिनांक 17.1.2003 की कार्यवाही व अनुपालन आख्या पर किसी भी सदस्य की न तो कोई टिप्पणी प्राप्त हुई और न ही बैठक में टिप्पणी की गयी। अतः सर्वसम्मति से गत बैठक की कार्यवाही व अनुपालन आख्या अनुमोदित की गयी। इसके पश्चात् एजेण्डा में प्रस्तुत बिन्दुओ पर निम्नानुसार विचार किया गयाः—

विषय कमांकः 1

वित्तीय वर्ष 2003—2004 का प्रस्तावित बजट

वर्ष 2002—2003 का संशोधित एवं वर्ष 2003—2004 के लिए प्रस्तावित बजट विचार विमर्श उपरान्त स्वीकृत किया गया।

(कार्यवाही सहा0लेखाधिकारी)

विषय कमांकः 2

आई0एस0बी0टी0 की प्रगति आख्या एवं बी0ओ0टी0 आपरेटर तथा म0दे0वि0प्रा0 के बीच किये जाने वाले "CONCESSION AGREEMENT" के अनुमोदन पर विचार।

CONCESSION AGREEMENT (Inclusive of draft minutes of Negotiation meeting) के प्रत्येक बिन्दु पर तथा Schedule to draft concession agreement पर विस्तृत विचार विमर्श किया गया। Highest Bidder मैसर्स रैम्की इंजीनियर्स प्रा0लि0 हैदराबाद से कार्य कराने पर सर्वसम्मति से सहमति प्रदान की गयी तथा प्राधिकरण के behalf पर उपाध्यक्ष,म0दे0वि0प्रा0 को कार्यवाही हेतु अधिकृत किया गया।

(कार्यवाही अधि0अभि0)

विषय कमांकः 3

प्राधिकरण द्वारा अधिग्रहण की कार्यवाही हेतु प्रस्तावित भूमि के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।

(कार्यवाही सचिव)

विषय कमांकः 4

सहारनपुर हरिद्वार बाईपास पर अधिग्रहण की जा रही भूमि का पंजीकरण खोले जाने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त प्रस्ताव पर सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि पंजीकरण के बाद वास्तविक मांग के आधार पर ले–आउट तैयार करके शासन को स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जाये।

(कार्यवाही अनुसचिव / अधि0अभि0)

विषय कमांकः 5

सहस्त्रधारा रोड पर डुप्लैक्स भवनों के निर्माण कार्य के सम्बन्ध में।

उपरोक्त प्रस्ताव पर सर्वसम्मति से सहमति दी गयी।

(कार्यवाही अधिशासी अभियंता)

विषय कमांकः 6

कांवली रोड स्थित भूमि पर आवासीय योजना के कियान्वयन के सम्बन्ध में।

उपरोक्त प्रस्ताव पर सर्वसम्मति से सहमति दी गयी।

(कार्यवाही अधिशासी अभियंता)

विषय कमांकः—7

मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण कार्यालय को हरिद्वार सहारनपुर बाईपास पर स्थानान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया।

(कार्यवाही सचिव)

विषय कमांकः—8

मसूरी हरिद्वार बाईपास पर **HIGHWAY AMMENITIES** बनाये जाने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया।

(कार्यवाही अधि0अभि0)

विषय कमांकः—9

देहरादून में **"HABITAT CENTRE"** बनाये जाने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया।

(कार्यवाही अधि0अभि0)

विषय कमांक :10

प्राधिकरण द्वारा देहरादून क्षेत्र में चार स्थलों पर भूमि अर्जन हेतु हडको से ऋण की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव पर चर्चा उपरान्त हुडको से अनुबन्ध आदि सम्पादित कराने एवं शासन से ब्रिज गारन्टी हेतु प्राधिकरण बोर्ड का संकल्प पारित किया गया।

(कार्यवाही सहा0लेखाधिकारी)

विषय कमांकः 11

महायोजना एवं बाईलॉज के अनुसार विकसित कालोनियों को बढ़ावा दिये जाने के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव पर विचार विमर्श उपरान्त सहमति दी गयी तथा यह भी निर्णय लिया गया कि यदि इन क्षेत्रो में प्राधिकरण की कोई महत्वपूर्ण योजना प्रभावित हो रही हो तो धारा–4 में छूट न दी जाये।

(कार्यवाही मुख्य नगर नियोजक)

विषय कमांकः 12

देहरादून विकास क्षेत्र के अर्न्तगत कृषि क्षेत्र जो पूर्णतया आवासीय रूप में विकसित हो चुके है को " लाल डोरा" के अर्न्तगत चिन्हित कर मानचित्रो को स्वीकृत करने हेतु बनाई गई नीति के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव पर सहमति प्रदान की गयी एवं विचार विमर्श के दौरान यह निर्णय लिया गया कि छोटे–छोटे पैचेज के अलावा कुछ बड़े पैचेज भी स्थल पर विद्यमान है जहॉ पर भविष्य में सड़क आदि प्रस्तावित की जा सकती है। अतः ऐसे स्थलो को चिन्हित करके अन्तिम निर्णय लेने हेतु एक कमेटी उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता में गठित की जाये जिसमें मुख्य नगर नियोजक एवं प्रभारी अधिकारी,नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग सदस्य होंगे।

(कार्यवाही मु0न0नि0)

विषय कमांकः 13

देहरादून विकास क्षेत्र के अर्न्तगत आवासीय क्षेत्रों में ऐसे स्थल जो भू–स्वामियों द्वारा बिना तलपट मानचित्र स्वीकृत कराये विकय कर दिये गये है, में वास्तविक विकास शुल्क के आधार पर मानचित्र स्वीकृति हेतु बनाई गई नीति के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।

(कार्य0मु0न0नि0)

विषय कमांकः 14

देहरादून विकास क्षेत्र के अर्न्तगत ऐसे आवासीय क्षेत्र जिनके तलपट मानचित्र स्वीकृत नहीं है, उन क्षेत्रो के मानचित्रो के निस्तारण हेतु 'सब डिवीजन' की नीति के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।

(कार्यवाही मुख्य नगर नियोजक)

विषय कमांकः 15

जनता अदालत में वास्तविक विकास शुल्क लेकर मानचित्र स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव पर कार्येत्तर स्वीकृति के साथ ही भविष्य में उपाध्यक्ष, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण को जनता अदालत मे प्रस्तुत भवन मानचित्रो को गुण दोष के आधार पर निर्णय लेने हेतु अधिकृत किया गया।

(कार्यवाही मुख्य नगर नियोजक)

विषय कमांकः 16

अजबपुर कलॉ खसरा नम्बर 80,81,82, 83,84,85,86,87,88 एवं अजबपुर खुर्द के खसरा नम्बर 46, 47 आंशिक एवं 48 (आशिंक) पर प्राधिकरण द्वारा आवासीय कालोनी हेतु जोनल डेवलपमेंट के अर्न्तगत तलपट मानचित्र बनाये जाने के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव पर विचार विमर्श उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि समस्त क्षेत्र की जोनिंग कर दी जाये तथा सभी भू–धारको से सहमति प्राप्त कर ली जाये। तदोपरान्त कृषि भू–उपयोग के अर्न्तगत पड़ने वाले क्षेत्र का भू–उपयोग परिवर्तन सम्बन्धी प्रस्ताव शासन को सन्दर्भित कर दिया जाये तथा अधिग्रहण से छोड़ दिया जाये।

(कार्यवाही मुख्य नगर नियो0)

विषय कमांकः 17

इन्दिरापुरम आवासीय योजना फेस–तृतीय में श्री जी0बी0 ओली, अनुसचिव, उत्तरांचल शासन को आवंटित भवन में प्राधिकरण /आवास विकास परिषद के कर्मचारियों/ अधिकारियों की भॉति छूट दिये जाने के सम्बन्ध में ।

उपरोक्त प्रस्ताव में श्री ओली को आंवटित भवन पर 10 प्रतिशत की एक मुश्त छूट दिये जाने के साथ ही शासनादेशो के अनुसार नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के कार्मिको को भी इस सुविधा का लाभ दिये जाने हेतु निर्णय लिया गया

(कार्यवाही अनुसचिव)

विषय कमांकः 18

कियान्वयन सहभागिता के आधार पर मसूरी स्थित भट्टाफाल पर्यटक स्थल के संचालन के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।

(कार्य0 सहा0अभि0मसूरी)

(19A)

विषय कमांकः 19

खसरा नं0 1054, 1058 ग्राम कांवली पर खादी ग्रामोद्योग द्वारा पूर्व निर्मित कार्यालय के परिवर्धन एवं आवासीय भवन निर्माण के मानचित्र के सम्बन्ध में ।

उक्त प्रस्ताव पर प्राधिकरण बोर्ड द्वारा कार्येत्तर अनुमोदन दिया गया।

(कार्यवाही मुख्य नगर नियो0)

विषय कमांकः 20

मौजा कांवली खसरा नम्बर 1433, 1435 के भू–उपयोग पब्लिक एण्ड सेमी पब्लिक फेसिलीटीज एफ–3 (स्वास्थ्य) से आवासीय किये जाने के सम्बन्ध में।

उक्त प्रस्ताव पर प्राधिकरण बोर्ड द्वारा कार्येत्तर अनुमोदन दिया गया।

(कार्यवाही मुख्य नगर नियो0)

विषय कमांकः 21

इन्दिरापुरम आवासीय योजना फेस–3 में शासन हेतु निर्मित भवनों के मूल्यांकन के सम्बन्ध में।

उपरोक्त प्रस्ताव पर विस्तृत विचार विमर्श के उपरान्त भवनो की लागत में छूट दिये जाने की दशा में प्राधिकरण को लगभग 44 लाख ये की वित्तीय हानि को दृष्टिगत रखते हुए, वास्तविक लागत प्राधिकरण को उपलब्ध कराने के लिए शासन से अनुरोध करने का निर्णय लिया गया ।

(कार्यवाही अनुसचिव / अधि0अभि0)

विषय कमांकः 22

ट्रान्सपोर्ट नगर के ले–आउट में प्रस्तावित 80 फीट चौड़े मुख्य मार्ग के मध्य आ रही निजी भूमि के बदल ट्रान्सपोर्ट नगर में ही भूमि दिये जाने के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान योजना की महत्ता को देखते हुए पूर्व निर्णय में संशोधन करते हुए रूपये 700/–(सात सौ मात्र) प्रतिवर्गमीटर की दर से समस्त शुल्को (विकास शुल्क, इम्पैक्ट शुल्क, भू–उपयोग परिवर्तन शुल्क) का आरोपण करते हुए श्री मनजीत वालिया को उनके भवन व भूमि के स्थान पर 830 वर्गमीटर भूमि एवं श्रीमती तेजेन्द्र कौर व श्रीमती हरभजन कौर प्रत्येक को 770 वर्गमीटर भूमि का अन्तरण कराने हेतु निर्णय लिया गया। यह राशि तीनो भू–धारको को सामान रूप से दो किस्तो (50%)में देय होगी जिसमें से प्रथम किस्त भूमि अन्तरण के समय तथा द्वितीय किस्त मानचित्र स्वीकृत कराते समय देय होगी। भू–अन्तरण की दशा मे भू–उपयोग व्यवसायिक अनुमन्य होगा।

(कार्यवाही मु0न0नि0/अनुसचिव/अधि0अभि0)

विषय कमांकः 23

प्राधिकरण की सम्पत्ति की 'आवंटन नीति' निर्धारित किये जाने के सम्बन्ध में ।

प्रस्ताव पर सर्वसम्मति से सहमति प्रदान की गयी।

(कार्यवाही अनुसचिव)

विषय कमांकः 24

निष्प्रयोज्य वाहन के रि–प्लेसमेंट में कय किये गये एक नये वाहन के सम्बन्ध में ।

प्रस्ताव पर सहमति के साथ ही निष्प्रयोज्य वाहन की नीलामी यथाशीघ्र कराने हेतु निर्देश दिये गये।

(कार्यवाही सचिव)

विषय कमांकः 25

श्री सिद्वार्थ दत्ता, प्राधिकरण अधिवक्ता को पुनः एक वर्ष के लिये समयवृद्वि दिये जाने के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव पर सर्वसम्मति से सहमति प्रदान की गयी।

(कार्यवाही सचिव)

विषय कमांकः 26

उपाध्यक्ष/सचिव के स्टाफ को मानदेय भत्ता देने के सम्बन्ध में ।

उपरोक्त प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा कार्येत्तर स्वीकृति प्रदान की गयी।

(कार्यवाही उपसचिव)

विषय कमांकः 27

ट्रान्सपोर्ट नगर योजना में ट्रान्सपोर्ट व्यवसाय से भिन्न उपयोगो की सम्पत्तियो की नीलामी के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।

(कार्यवाही अनुसचिव)

विषय कमांकः 28

प्राधिकरण में कार्यरत कर्मचारियों/अधिकारियों को दिये जाने वाले वाहन भत्ता में वृद्वि किये जाने के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान यह निर्णय लिया गया कि शासनादेशों के परिप्रेक्ष्य में पुनः परीक्षण कराकर प्रकरण को अगली बोर्ड बैठक में रखा जाये।

(कार्यवाही उपसचिव)

अनुपूरक विषय कमांकः 1

ट्रान्सपोर्ट योजना के संशोधित तलपट मानचित्र की स्वीकृति एवं योजना के अर्न्तगत जिन भू–स्वामियों की भूमि प्राधिकरण द्वारा अधिग्रहित की गयी है उन्हें दुकानें आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में।

संशोधित तलपट मानचित्र को स्वीकृत करने के साथ ही दुकानें आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव का पुनः परीक्षण कराते हुए आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत करने हेतु निर्णय लिया गया।

(कार्यवाही सचिव / अनुसचिव)

अनुपूरक विषय कमांकः 2

गौरव भारती शिक्षा संस्थान द्वारा संचालित सरदार भगवान सिंह पोस्ट ग्रेजुएट संस्थान बालावाला देहरादून के भू–उपयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में।

उपरोक्त प्रस्ताव भू–उपयोग परिवर्तन से सम्बन्धित है अतः प्रकरण शासन को सन्दर्भित किये जाने का निर्णय लिया गया।

(कार्यवाही मुख्य नगर नियोजक)

अनुपूरक विषय कमांकः 3

ख0नं0 1101 प्लाट नम्बर 73 शान्ति विहार अजबपुरकलॉ में मानचित्र स्वीकृति के सम्बन्ध में।

उक्त प्रस्ताव पर कार्येत्तर स्वीकृति प्रदान की गयी तथा इस प्रकार के अन्य प्रकरणों को एक साथ प्रस्ताव बनाकर भू–उपयोग परिवर्तन करने हेतु शासन को सन्दर्भित किये जाने का निर्णय लिया गया।

(कार्यवाही मु0न0नि0)

(डा0एस0एस0संधू)
उपाध्यक्ष,
म0दे0वि0प्रा0 देहरादून

(सुभाष कुमार)
आयुक्त / अध्यक्ष
म0दे0वि0प्रा0देहरादून।